नम्बर व तारीख अहकाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]5-21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 18.8.21 को पेश हो।	
7.21	शीघ्र सुनवाई के प्रा०पत्र के साथ पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी सं. 3 का नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां को जवाब हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दि 11.8.21 को पेश हो।	
11.8.21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश/ अन्य राजकार्य [illegible] 17.8.21 को पेश हो।	
17.8.21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 7.9.21 को पेश हो।	
07/09/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 24/11/21 को पेश हो।	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट नोटिस जारी 23/11/2021
23/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट कैथूदा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम धूंसा तहसील नैनवां की भूमि खसरा सं. 845 रकबा 0.3 बीधा वादीगण सं. 1 लगायत 6 के कब्जे काश्त की भूमि है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 सूरजमल पुत्र [illegible]स जाति गुर्जर उक्त भूमि प[illegible]त रूप से भूमि [illegible] कब्जा करने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	की काश्त कर रहा है। यही वाद का कारण है। यह कि जमाबंदी में वर्तमान में वादीगण एवं मैनजी का नाम दर्ज है। जिसमें मैनजी की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस वादी सूरजमल है। जमाबंदी में अभी तक भी वादीगण गैरखातेदार कृषक ही दर्ज कर रखा है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि इस आशय की डिक्री प्राप्त करे कि वादीगण को जमाबंदी मे गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण की हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त मे कोई हस्तक्षेप नही करें। हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 4/3/16 से स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि पर कब्जे काश्त है तथा आवंटन की शर्तों की पालना की गई है। पटवारी रिपोर्ट में नियमानुसार खातेदारी दिये जाने की अनुशंषा की गई है। अत: वादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम [illegible] तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 845 रकबा 03 बीघा भूमि पर वादीगण को [illegible] कृषक घोषित किया जाता है [illegible] जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस [illegible] राजस्व अभिलेखों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते हैं। डिक्री पत्र जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हक एवं आधिपत्य मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ऐसा किसी अन्य से करावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:21 IST
Reason: SelfAttested